FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

सन्ती देवी बनाम सागर वगै0

केस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 438 सन् 2024 जीसीएमएस नं. 2024/561

| | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 3-2024 | रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से **श्री राजेन्द्र कुमार गोठवाल** एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थीगण अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थीगण के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **उभय पक्षकारान को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्ध किया जाता है कि विवादित आराजी ख0न0 33, 34 कुल किता 02 कुल रकबा 0.52 हैक्ट0 अवस्थित ग्राम बरसिंगवास पटवार हल्का आगवाड़ी तहसील नीमकाथाना के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।**<br><br>**उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।**<br><br>प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 09.09.2024 को पेश हो।<br><br>(राजवीर सिंह यादव)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नीमकाथाना (राज.) | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.19 17:03:53 IST
Reason: SelfAttested

9/9/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1/10/24 को पेश हो।

1/10/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 13/11/24 को पेश हों।

13/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 8/1/25 को पेश हों।

8/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/2/25 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 23/4/25 को पेश हों।

23/4/25 पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 22/7/25 को पेश हों।

पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 23/7/25 को पेश हों।

23/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 31/7/25 को पेश हों।

Signature Not Ver
Digitally signed by Raj
Yadav
Date: 2025.08.19 17:03
Reason: SelfAttested

31-7-25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थिया अनुप
प्रकरण कार्यवाही के सुनवाई हेतु बार-बार
आवाज दिलवाई गई, बावजूद वकील प्रार्थिया

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

| मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| अथवा पक्षकारान में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया। अतः वकील प्रार्थीया अथवा पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रकरण कार्यवाही को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्शा से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज इजलास सुनाया गया। | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.19 17:03:53 IST
Reason: SelfAttested